

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
------------------------	---

16/02/2023

वादी अधिवक्ता द्वारा परावली तलब का प्रारंभ पर पेश कर कमेंट ड्रॉवाही का निवेदन किया जिस पर परावली तलब कर को पेश की गई। वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा विद्वो प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में हम परामर्श के मुख्य रूप में शामिल हो चुके हैं। इस कारण हम उक्त प्रकरण को न्यायालय में आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा परिली विद्वो प्रार्थना खारिज फरमावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादी ड्राईवर गॉफ हट हैं, तथा एवं अपना दावा चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा परिली विद्वो हली हट पर खारिज किया जाता है परावली मूलभूत होकर नम्बर ले कम की पाकर दारिल एक्टर से।

Day

जयक कलेक्टर-चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)



महाराष्ट्र सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार
राज्य सरकार

सहित
[Fingerprint]
[Signature]